(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पुनरावलोकन - 266/2019/छिंदवाड़ा/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 10-1-2019 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक अपील/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/6280.

श्रीमती आशा कोठारी पत्नी
श्री सुभाष कोठारी, निवासी गोलगंज,
तहसील व जिला छिंदवाड़ा म.प्र. ---- आवेदिका
सदाशिव पिता नंदराम जोशी

विरूद्ध

नवीन दुग्गड़ पुत्र श्री केवलचंद दुग्गड़
निवासी गोलगंज तहसील
व जिला छिंदवाड़ा ---- अनावेदक

श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य, राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/6280 में पारित आदेश दिनांक 10-1-2019 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा कलेक्टर, छिंदवाड़ा के

न्यायालय में संहिता की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन पेश कर मांग की कि उसके द्वारा अनावेदक से ग्राम सर्रा की खसरा नं. 1/3 रकबा 1.828 हैक्टर (4.50 एकड) भूमि में से 0.45 हैक्टर भूमि विक्रयपत्र दिनांक 10-5-1985 से क्रय की है । इस भूमि का बटांक नंबर 1/5 है किंतु तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने मूल नक्शे में फेरफार करके उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि की पूर्वा चौड़ाई लगभग 228 फुट से घटाकर 100 फुट करदी है एवं मूल नक्शे में आयाताकार बना दिया है, जिसके संशोधन हेतु नायब तहसीलदार, छिंदवाड़ा को आवेदन दिया था, किंतु नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23-6-17 से आवेदन खारिज कर दिया है । अशुद्ध नक्शा जिला कलेक्टर शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए नक्शा शुद्ध किया जाये। इस आवेदन पर अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा ने प्रकरण क्रमांक 1/अ-74/17-18 पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की । सुनवाई के दौरान स्थगन की मांग पर अपर कलेक्टर ने अंतरिम आदेश दिनांक 2-11-17 पारित किया । इसके विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मंडल में निगरानी प्रस्तुत की । राजस्व मंडल द्वारा प्र0क्र0 निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4832में पारित आदेश दिनांक 6-2-18 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 2-11-17 निरस्त किया जाकर अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही समस्त कार्यवाही निरस्त कर दी । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 4566/2018 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 6-3-18 द्वारा अपर कलेक्टर को विवाद के निराकरण के निर्देश दिए गए । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच के समक्ष रिट अपील क्रमांक 363/2018 पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर डबल बैंच द्वारा निर्णय दिनांक 7-5-18 को यह निर्णय पारित किया गया कि - "consequently, we dispose of the present appeal with direction to the Collector decide the question of preparation of the filed map expeditiously as early as possible within a period of 30 days from today but there shall not be any order of stay on construction by the parties." माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के

अनुक्रम में अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में जांच कार्यवाही कराते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई की तथा आदेश दिनांक 5-6-18 पारित करते हुए ग्राम सर्रा की भूमि खसरा नं. 1/5 रकबा 0.405 हैक्टर का नक्शा त्रुटिपूर्ण नहीं पाने से आवेदिका का आवेदन निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ने अपील प्रकरण क्रमांक 1425/2017-18/अपील में दिनांक 5-11-18 को आदेश पारित करते हुए अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया तथा अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा को प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुए निर्देश दिए कि वे 30 दिवस में नक्शा दुरस्ती की कार्यवाही करें । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की जो विद्वान सदस्य ने आलोच्य आदेश दिनांक 10-1-2019 द्वारा स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया गया तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 5-6-18 यथावत रखा गया । सदस्य, राजस्व मंडल के उक्त आदेश के विरूद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन पेश किया गया है ।

3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि विद्वान सदस्य द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में भूल की गई है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, क्योंकि अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर उन्हें संहिता की धारा 107 (5) के तहत 30 दिवस में नक्शा दुरस्त करने के निर्देश दिये हैं, अपर आयुक्त का आदेश प्रत्यावर्तन की श्रेणी में नहीं आता है । यह भी कहा गया कि विद्वान सदस्य द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है, इस कारण आलोच्य आदेश पुनरावलोकन योग्य है ।

यह तर्क भी दिया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का संज्ञान न लेते हुए आदेश पारित किया गया है, इस कारण अपर आयुक्त ने उनके आदेश को निरस्त कर नक्शा दुरस्त करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा राजस्व मंडल द्वारा पारित आलोच्य आदेश को निरस्त कर मूल निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि तत्कालीन सदस्य द्वारा आलोच्य आदेश दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर विचार कर आदेश पारित किया गया है । अतः आवेदक का यह तर्क कि उनकी लिखित बहस पर विचार नहीं किया गया अभिलेख पर आधारित नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर को संहिता की धारा 107 (5) के तहत 30 दिवस में नक्शा दुरस्त करने के आदेश दिए हैं, उनका आदेश प्रत्यावर्तन की श्रेणी में आता है, जबकि अपर आयुक्त को संहिता की धारा 49(3) के तहत प्रकरण प्रत्यावर्तन का अधिकार नहीं था । संहिता की धारा 49(3) में वर्ष 2018 में हुए नवीन संशोधन अनुसार भी यह प्रावधान है कि अपीलीय अधिकारी सामान्य तौर पर प्रकरण को प्रत्यावर्तित नहीं करेगा । यदि अपर आयुक्त यह मानते थे कि अपर कलेक्टर द्वारा उपलब्ध साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया तब उनको स्वयं प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पूर्ण जांच कराने के उपरांत आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इस कारण इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर उचित आदेश पारित किया है । अंत में कहा गया कि संहिता की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु जो आधार दिए गए हैं, उनमें से एक भी आधार इस प्रकरण में विद्वमान नहीं है । अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया जाये ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा विधिवत संयुक्त दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि की मौके पर जांच कराई गई है और जांच दल द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि चालू नक्शा अनुसार ही उभयपक्ष अपनी अपनी भूमि पर मौके पर काबिज हैं और नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसके बावजूद अपर आयुक्त द्वारा संक्षिप्त

प्रकृति का आदेश् पारित करते हुए कि, अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में अभिलेखीय साक्ष्य को अनदेखा किया गया है, अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10-1-19 को आदेश पारित करते हुए विधि के प्रावधान की विवेचना की जाकर संहिता की धारा 49 (3) एवं वर्ष 2018 में संहिता की धारा 49(3) में हुए संशोधन का उल्लेख करते हुए उनके प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया है जो कि पूर्णतया वैधानिक कार्यवाही है । यदि अपर आयुक्त की दृष्टि में अपर कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण था तब उन्हें संहिता की धारा 49(3) के प्रावधानों के अनुरूप अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करना चाहिए था । परंतु ऐसा न कर अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर त्रुटि की गई है । इस कारण अपर आयुक्त के आदेश को इस न्यायालय द्वारा निरस्त करने में पूर्णतया वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया है । जहां तक आवेदक अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर बिना विचार किए आलोच्य आदेश पारित किया है, भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश उभयपक्ष के अभिभोषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत पारित किया गया है । इस कारण इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

7/ पुनरावलोकन के प्रकरणों में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित होता है और अपवास स्वरूप विशिष्ट परिस्थितियों में ही रिव्यू किया जाना न्यायोचित होता है । किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है जिसके अनुसार - (1) नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, जो तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. (2) अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती (3) कोई अन्य पर्याप्त कारण । इस प्रकरण में उक्त आधारों में से एक भी आधार विद्धमान नहीं है, इस कारण यह प्रकरण पुनरावलोकन

के दायरे में नहीं आता और इस न्यायालय द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया है, वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10-1-2019 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर